राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 1] सप्तम विधान सभा के प्रथम सत्र का चौथा दिवस [संख्या 2

सोमवार

दिनांक 7 जुलाई, 1980

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न

विधान सभा का अधिवेशन आहूत करने की तिथि में परिवर्तन

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि कार्यवाही प्रारम्भ करें, एक गम्भीर व्यवस्था का प्रश्न मैं आपके सामने विचारार्थ रखता हूं। सदन का सत्र जिस प्रकार से और जिस प्रक्रिया से बुलाया गया है वह सर्वथा अवैध और अवैधानिक है और जो हमारे सदन के नियम हैं उनके विपरीत है। सबसे पहले एक विज्ञप्ति या आदेश हमें राज्यपाल जी का मिला जिसको मैं पढ़ कर सुनाता हूं। वह इस प्रकार है :—

"राज्यपाल ने राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन सवाई–मानसिंह टाउन हाल, विधान सभा भवन में गुरुवार दिनांक 26 जून, 1980 को प्रातः 11 बजे आहूत करने का आदेश दिया है। अतः निवेदन है कि उक्त 26 जून को उक्त समय और स्थान पर विधान सभा के सत्र में भाग लें।"

सत्र की व्याख्या दी हुई है, वह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह निश्चित बात है कि जब सरकार ने और सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल महोदय ने एक समय निश्चित कर दिया कि उक्त समय सदन का सत्र मिलेगा, एकत्रित होगा, उसके बाद यह हाउस की सोवरिनिटी है, यह सदन सार्वभौम सत्ता सोवरिनिटी ही रखता है विधान के अन्तर्गत, जो कुछ भी निर्णय सत्रावसान का या एडजोर्नमेंट का हो वह स्वयं सदन ही ले सकता है।

खेद का विषय यह है कि जब लगभग सारे मैम्बर्स, सदस्यगण 24 तारीख को यहां पहुंच गये तो 24 तारीख को एक और आदेश निकला, जिसको मैं पढ़ कर सुनाता हूं।

"संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल ने राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन शुक्रवार, दिनांक 4 जुलाई, 1980 को प्रातः 11:00 बजे सवाई मानसिंह टाउन हाल में आहूत करने का आदेश दिया है। अतः आपसे निवेदन है कि दिनांक 4 जुलाई, 1980 को विधान सभा के सत्र में भाग लें।"

राज्यपाल, राजस्थान द्वारा विधान सभा का अधिवेशन पूर्व में 26 जून, 1980 को प्रातः 11:00 बजे प्रारम्भ करने का जो

(श्री राजबहादुर)
आदेश दिया गया था और जिसकी सूचना आपको 21 जून, 1980 के आदेश द्वारा दी गयी, वह राज्यपाल, राजस्थान द्वारा निरस्त कर दी गयी है। अतः आप उसे निरस्त समझें।"

मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद 174 का जो प्रावधान है उसमें सिर्फ 3 फंक्शन राज्यपाल महोदय कर सकते हैं। एक तो जो समय, तिथि और स्थान बताया है उसके अनुसार हाउस को सम्मन करें। उसके बाद वह पिक्चर में नहीं रहते। उसके बाद वह सदन को प्रोरोग कर सकते हैं या फिर डिजोल्व कर सकते हैं। मंत्रिमण्डल की सलाह पर राज्यपाल जी को यह अधिकार नहीं है। हमारा सदन सोवरिन है, विधान के अन्तर्गत अपने अधिकारों को लिये हुए है उसके एकत्रित हुए बिना, मिले हुए बिना सत्र को प्रोरोग नहीं किया गया है और सत्रावसान किये बिना एक दूसरा सत्र और बुलाया गया है 4 जुलाई को। यह आज्ञा विधान के विपरीत है। यह सत्र बुलाने का अधिकार किसी को नहीं है। एक तथ्य और निवेदन करूंगा जो नियमों में स्पष्ट है। वह यह है कि बिना प्रोरोग किये हुए दूसरा सदन बुलाया नहीं जा सकता। जब पहला सदन मिला नहीं तो कौन सा विधान है जिसके अन्तर्गत इस प्रकार से बिना प्रोरोग किये दूसरा सत्र बुला लें? ऐसा कोई प्रावधान न हमारे नियमों मे है और न विधान में।

दूसरे, देश में कोई बड़ी आपत्ति हो और आपत्ति का कारण भगवान न करे ऐसा हो, अलबत्ता कोई ऐसी बात नहीं थी, जिसके कारण हम कह सकें कि एक सत्र में बिना हाउस के एकत्रित हुए दूसरा सत्र बुला लिया। 24 तारीख को जो सदस्य आये, वह वापस गये। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कि सरकार को किस तरह का काम करना चाहिऐ, वैसे यह हमारा अधिकार है। जब यह सदन 26 जून को बुला लिया गया तो राज्यपाल अपना फर्ज पूरा कर चुके थे। उसके बाद हम मिलते, उसमें जो समझते कि हमें क्या करना है, हमें क्या व्यवस्था करनी है वह सदन ही करता। उसके अलावा राज्यपाल कुछ नहीं कर सकते थे। मेरी विनती है, प्रश्न यह है कि आप इस सत्र को वैधानिक मानें या और कुछ करें जिसके द्वारा सदन फंक्शन कर सके।

श्री नाथूसिह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : इसी सिलसिले में है या अलग से है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूं। जो व्यवस्था का प्रश्न भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है उस पर मैं अपनी व्यवस्था दूंगा। अगर आपका प्रश्न भी यही है तो उसके सपोर्ट में या विरोध में कह सकते हैं।

श्री नाथूसिह : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री राजबहादुर ने जो एतराज प्रस्तुत किया है उस संबंध में मेरा निवेदन है कि राज्यपाल महोदय को पूर्ण अधिकार है कि वह सदन को बुलायें और विधान सभा का सत्र हो

(श्री खेतसिंह राठौड़)

जिसको यह अधिकार होता है उसे कैन्सिल करने का अधिकार भी होता है। इसलिए यह जो आर्ग्यूमेन्ट माननीय सदस्य भरतपुर ने रखा है उसमें कोई तथ्य नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): माननीय सदस्य भरतपुर नहीं, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य। आपने यह परम्परा डाली थी। नाम से पुकारा करते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए हमेशा आपको कहा करते थे कि अपनी प्रक्रिया के अनुसार आपको सदस्य का नाम नहीं लेना चाहिए, जिस स्थान से आते हैं उस स्थान के नाम से आपको सम्बोधित करना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो आपको इतना ही करेक्ट किया है कि स्थान माननीय नहीं होता, सदस्य माननीय होता है।

एक माननीय सदस्य : जो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई है वह निस्सार है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 26 तारीख को सत्र आहूत किया गया, वह कैन्सिल किया गया।

श्री राजबहादुर : भरतपुर को यदि सम्माननीय कहा जाये तो कोई हर्ज नहीं है। भरतपुर का नाम सम्माननीय है, राजस्थान का इतिहास है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि जो 26 तारीख को सत्र आहूत किया गया था, उसको कैन्सिल किया गया गवर्नर के द्वारा, फिर से नोटिफिकेशन इश्यू किया गया। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने एतराज उठाया तो ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते हैं कि 24 और 25 तारीख को आने जाने का किराया और डी. ए. दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठायी है वह बिल्कुल ही निराधार है और इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है इसलिये इसको निरस्त किया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं. .

श्री देवेन्द्रसिंह (उनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठिये। विरोधी पक्ष के नेता कुछ कहना चाहते हैं। सदन की यह परम्परा रही है कि पहले विरोधी दल के नेता महोदय को बोलने का अधिकार है इसलिये आप विराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अभी जो मुख्य सचेतक महोदय ने अपना उत्तर सदन में दिया है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

प्रश्न यह नहीं है कि गवर्नर साहब इसको कैन्सिल कर सकते हैं या नहीं, पर मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब भी राज्यपाल महोदय सदन को आहूत करते हैं तो पहले कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के द्वारा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
रिजोल्यूशन राज्यपाल महोदय के पास सदन को आहूत करने के लिये जाता है फिर राज्यपाल महोदय सदन को आमन्त्रित करते हैं। आपने पहले तो 24 तारीख को राज्यपाल महोदय को विधान सभा का अधिवेशन बुलाने के लिये कहा। राज्यपाल महोदय ने 24 तारीख को सदन को आहूत किया· ·

श्री अध्यक्ष : 24 नहीं 26 तारीख से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, 26 तारीख से।

तो आपके कौंसिल आफ मिनिस्टर्स ने पहले 26 तारीख से विधान सभा का अधिवेशन बुलाने के लिये राज्यपाल महोदय को रिजोल्यूशन भेजा, उसके बाद में आपने 26 तारीख को विधान सभा बुलाने के लिये कैन्सिलेशन के लिये रिजोल्यूशन भेजा और उसके बाद में 4 तारीख से सदन को आहूत करने की घोषणा की गयी। तो मेरा यह कहना है कि 26 तारीख को सदन आहूत नहीं करने के लिये कोई रिजोल्यूशन सरकार से राज्यपाल के पास नहीं गया। बाद में चार तारीख को सदन को बुलाने के लिये कोई रिजोल्यूशन भेजा नहीं और सदन को आहूत कर दिया गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह गलत है कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा रिजोल्यूशन 26 तारीख को सदन आहूत करने के लिये राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया था। उसके बाद में कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा दूसरा रिजोल्यूशन उसके कैन्सिलेशन के लिये राज्यपाल महोदय को भेजा गया था। उसके बाद में चार तारीख से सदन को आहूत करने के लिये अलग से कौंसिल आफ मिनिस्टर्स द्वारा रिजोल्यूशन भेजा गया था।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य बुजर्ग हैं जिन्होंने ऐसा प्रश्न उठाया है। जब कि देश में एक ऐसी घटना घट गयी थी जिसको सभी जानते हैं· · ·

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। It's not a matter of discussion.

श्री देवेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसको अगर व्यावहारिक ढंग से देखा जाय तो· ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न व्यावहारिक ढंग से देखने का नहीं हैं। प्रश्न यह है कि संवैधानिक ढंग से यह सही निर्णय था या नहीं, यह देखने की बात है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था कि राज्यपाल महोदय का यह कदम असंवैधानिक था।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, इसमें तीन पाइन्ट्स हैं, राज्यपाल महोदय ने जो कार्यवाही की वह अवैधानिक थी। यह कहा यहां पर सचेतक महोदय ने· ·

एक माननीय सदस्य : सचेतक नहीं मुख्य सचेतक।

श्री राजबहादुर : मुख्य सचेतक, हां मुझे क्षमा करें। मुख्य ही क्यों अगर आप कहें तो मैं मुख्यतम भी कह सकता हूं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने तो यह निवेदन किया था कि सदन को आहूत करने के बाद उस सत्र के कैन्सिलेशन का अधिकार गवर्नर महोदय को नहीं है जनरल क्लाजेज एक्ट के अनुसार। जनरल क्लाजेज एक्ट के अनुसार एक बार सदन को आहूत करने के बाद सदन को स्थगित करने के लिये उसको प्रोरोग करना चाहिये था। यह तो सर्वविदित है कि ऐसा होना चाहिये। वह नहीं किया गया इसलिये जो कार्यवाही की गयी वह वैधानिक नहीं थी। मैं आपको संविधान के आर्टिकल 174 को पढ़ कर सुना देता हूं।

"(1) The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.

(2) The Governor may from time to time—

(a) prorogue the House or either House

(b) dissolve the Legislative Assembly."

इसके अनुसार जो अधिकार दिये गये हैं उनके अनुसार तो जब एक बार राज्य सरकार प्रस्ताव पास करके राज्यपाल महोदय के पास भेजती है और जब उनके द्वारा सदन को आहूत कर लिया जाता है, उसके बाद में तो हाउस को ही अधिकार है कि उसको स्थगित किया जाय। क्योंकि हाउस सोवरिन बोडी है इसलिये कुछ भी करना हो तो हाउस ही कर सकता है। इसमें राज्यपाल महोदय कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और है यह शपथ के सम्बन्ध में है कि हमने जब तक शपथ नहीं ली तब तक हमें कार्य करने का अधिकार नहीं होता है, इसके बारे में कुछ भी आपत्ति उठाने का अधिकार नहीं होता है लेकिन शपथ ग्रहण करने के बाद में हमें बोलने का अधिकार हो जाता है। जब तक मैंने शपथ ग्रहण नहीं की तब तक मैंने कोई प्रश्न नहीं उठाया। शपथ ग्रहण करने के बाद ही मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

यहां बुजुर्गी की बात कही गयी। मेरा तो निवेदन यह है कि प्रश्न बुजुर्गी का नहीं, प्रश्न संवैधानिकता का है। जिस दुखद घटना के बारे में कहा, सही बात तो यह है कि वह घटना 23 तारीख को घट गई थी। उसके बाद में 24, 25 गुजर जाती है और हम 26 तारीख को यहां पर मिल सकते थे।

मुख्य सचेतक महोदय द्वारा भत्ता उठाने की बात कही गयी है। सवाल भत्ते का नहीं है। सवाल यह है कि संविधान के अनुसार जब राज्यपाल महोदय को एक बार हाउस को आहूत करने के बाद में रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है तो उन्होंने सत्र को रद्द किस नियम के अन्तर्गत किया? अगर कोई अधिकार हो तो आप हमें बता दें। यहां पर विधि मन्त्री जी भी बैठे हैं। यहां पर हम जो बैठे हुए हैं यह विधान सभा का सदन

(श्री राजबहादुर)

कोई छोटी मोटी अदालत या मजिस्ट्रेट की अदालत नहीं जिसमें आये दिन जिस प्रकार पेशी बदल दी जाती है उसी प्रकार राज्यपाल महोदय ने सदन की कार्यवाही की तारीख बदल दी। यह कोई मुकदमे की पेशी नहीं थी जो बदल दी जावे। सदन का एक विशिष्ट अधिकार होता है उसको बदला नहीं जा सकता। पहले सत्र को बुलाने का निर्णय लिया गया फिर वह रद्द कर दिया गया। आपने जो 24 तारीख से भत्ता लेने की बात कही है वह सही नहीं है। आपको 24 तारीख से लेकर चार तारीख तक का भत्ता देना पड़ेगा। वैसे मैं यहां पर भत्ता देने के लिये नहीं कह रहा हूं पर जो कार्यवाही की गई वह अवैधानिक की गई है उसके लिए कह रहा हूं।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर दूसरे माननीय सदस्य कहें उसके बाद में मुझे भी राइट टू रिप्लाई होना चाहिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने राइट टू रिप्लाई की बात कही है। यह उनका कोई मोशन नहीं जो इनको राइट टू रिप्लाई हो।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इनका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। पहले जो माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर व्यवस्था दी जाय।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राज्यपाल महोदय ने कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के रिजोल्यूशन पर सदन को आहूत किया। उनको सदन को बुलाने का अधिकार है। उसके बाद, मैं समझता हूं, मन्त्रि परिषद को हाउस को स्थगित करने का भी अधिकार है। इसके लिए मन्त्रि परिषद् ने राज्यपाल महोदय को रिजोल्यूशन भी भेजा। उसके बाद में चार तारीख को हाउस को आहूत करने के लिए रिजोल्यूशन भेजा। माननीय सदस्य जो भरतपुर से आते हैं, वह भी केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में रहे हैं तो इसका पूरा पता होगा कि जो कौन्सिल आफ मिनिस्टर्स रिजोल्यूशन हाउस को आहूत करने का भेज सकती है, वह हाउस को स्थगित करने का भी रिजोल्यूशन भेज सकती है। अगर हाउस को केन्सिलेशन का अधिकार कौंसिल आफ मिनिस्टर्स को, वह कहते हैं, नहीं है, तो वह हमें बता दें कि किन नियमों के अन्तर्गत अधिकार नहीं है। इनका यह कहना है कि उनको यह अधिकार प्राप्त नहीं है, वह सही नहीं। जिनको बुलाने का अधिकार है उनको सदन की कार्यवाही मुलतवी करने का अधिकार भी है। राज्यपाल महोदय ने तो मंत्रिमण्डल की सलाह पर ही सदन को आहूत किया था और उसी की सलाह पर उसको मुलतवी किया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसमें इनका कहना है कि सदन को एक बार आहूत कर लिया गया उसके बाद में जो केन्सिलेशन की कार्यवाही की है वह कार्यवाही कान्स्टीट्यूशन के विपरीत है। यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। इन्होंने आर्टिकल 174 को पढ़ कर सुनाया है। यह

(श्री अध्यक्ष) :
कहना चाहते हैं कि एक बार राज्यपाल द्वारा हाउस को आहूत करने के बाद में उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन राज्यपाल द्वारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का कान्स्टीट्यूशनल पाइन्ट माननीय सदस्य ने खड़ा किया है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं ? इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहें।

श्री दिनेश डांगी (देसुरी) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है...

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं वही निवेदन कर रहा था।

यह जो संवैधानिक मुद्दा उठाया है इसमें पहले हाउस सम्मन किया था उसका आधार लिया है। पहले मीटिंग बुलाने के बाद उसे रद्द करने का अधिकार नहीं था—जिस रूप में उन्होंने मुद्दा उठाया वह यही है। मेरा निवेदन यह है कि उनको अधिकार प्राप्त था। ऐसा करने का उनको अधिकार है। इसमें कतई कोई असंवैधानिक कार्य नहीं हुआ है राज्यपाल महोदय की तरफ से। मैं इसी पाइन्ट को निवेदन कर रहा था...

श्री अध्यक्ष : जैसा कि आप कह रहे हैं इस प्रकार का अधिकार संविधान के अन्तर्गत है या कार्य संचालन की प्रक्रिया के नियमों के अन्तर्गत है...

श्री प्रद्युम्नसिंह : दोनों ही साइलेन्ट हैं इसके ऊपर।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इसका मतलब अधिकार नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह बता दें कि ऐसा नहीं कर सकते। आपके हंसने से काम नहीं चलेगा। आप पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस देख लीजिए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय सदस्य अभी एडमिट कर चुके हैं, यह कहीं नियमों में नहीं है। यह एडमिट कर चुके हैं, इसलिये आप व्यवस्था दीजिए, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री दिनेश डांगी।

श्री दिनेश डांगी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि इन्होंने एक बात यह कही है कि एक बार गवर्नर की तरफ से सदन के आहूत होने के बाद इस हाउस को अधिकार होता है। यह मैं स्वीकार करता हूं कि यह सही है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रिमण्डल की सलाह पर गवर्नर महोदय ने सदन को आहूत किया है। उस समय हाउस जुड़ा ही नहीं और सदस्यों ने ओथ ही नहीं ली। तो फिर उनको अधिकार है क्योंकि हाउस मीट ही नहीं हुआ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, प्रश्न यह है कि जो अधिसूचना जारी की गयी है और जिस अथोरिटी के द्वारा की गयी है क्या उनको इसे जारी करने का अधिकार प्राप्त था या नहीं ? इस बारे में जनरल क्लाजेज एक्ट का हवाला भी दिया था, उसमें यह स्पष्ट लेख है कि जो भी अथोरिटी या अधिकारी अधिसूचना जारी करने का अधिकार रखता

'(श्री हरिसिंह)
है उसको निरस्त करने का भी अधिकार उसे होता है। प्रश्न यह है कि जो अधिसूचना जारी की गयी है उसको गवर्नर साहब निरस्त भी कर सकते हैं या नहीं। गवर्नर साहब अपनी अधिसूचना को निरस्त कर सकते थे। इसमें अधिक विचार करने का सवाल ही नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजबहादुर जी की बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। आर्टिकल 174 में लिखा हुआ है दो सिटिंग के बीच में 6 महीने का समय होगा। एक तरफ मंत्रिमंडल ने राय दी दूसरी तरफ माननीय सदस्यों ने ओथ ली नहीं। इसलिये सिटिंग ही नहीं हुई। आप तो आर्टिकल पर दुबारा गौर करें, दो सिटिंग के बीच में 6 महीने का गैप होगा। तो जो प्रश्न उठाया गया है वह इसके अन्तर्गत आता ही नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य का पाइन्ट वेलिड तब होता जब कि हाउस मीट होता। 26 तारीख को मीटिंग होती तो फिर गवर्नर के अधिकारों के बाहर हो जाता। लेकिन जब हाउस मीट हो नहीं हुआ तो गवर्नर को राइट है, अलिदर नोटीफिकेशन निकाल सकते हैं। "There is no provision in the rule. There is no provision in the Constitution: जब प्रोवीजन ही नहीं है, by necessary implication जब पावर्स आहूत करने की है तो निरस्त करने की पावर्स हैं। हाउस पिक्चर में तब आता है, प्रोरोग करने का प्रश्न तब आता है जब कि हाउस मीट कर जाये। अगर हाउस 26 तारीख को मीट कर जाता तो गवर्नर साहब की पावर्स से बाहर हो जाता। यह हाउस सावरिन है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि क्लियर अण्डरस्टेंडिंग माननीय सदस्य को नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय विधि मंत्री जी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पाइन्ट आफ आब्जेक्शन रेज किया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, दोनों कानून जो एप्लाई करते हैं वह खुद उन्होंने ही कोट कर दिये। जनरल क्लाजेज एक्ट में कोई भी अथोरिटी हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे मिनिस्टर हो या सरपंच हो जो भी आर्डर पास करता है उसको बदलने का, उसको अमेन्ड करने का उसे अधिकार है। मैं समझता हूं कि जनरल क्लाजेज एक्ट का हवाला भी दिया है और उसको अलग भी खुद ही करते हैं! अगर जनरल क्लाजेज एप्लाई नहीं करेगा तो उसका इन्टर प्रिटेशन बिलकुल ही उल्टा हो जायेगा। दूसरी बात आपने कही कि सदन सुप्रीम है तो इसमें तो कोई शक नहीं है लेकिन सदन सुप्रीम तब होता जब कि सदन की मीटिंग हो जाती। सदन की मीटिंग हो जाने के बाद सदन सुप्रीम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस प्रोसीजर किताब के पेज 148 पर दिया हुआ है।

"A summon already issued may be cancelled and a fresh one issued to members on account of change in the date of commencement of the Session,"

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): हिन्दी में बोलें तो ठीक रहेगा। इसका हिन्दी में अनुवाद कर दीजिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसका हिन्दी अनुवाद यह है कि एक बार जो सेशन बुलाया गया उसका···

श्री राजबहादुर : किस चीज में से है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस बाई एस. एल. शकधर किताब है। उसमें पार्लियामेन्ट का यह फैसला है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : यह स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : कई माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति प्रस्तुत की है सदन में उस पर अपने विचार प्रस्तुत कर दिये हैं। यह मैं उचित समझूंगा कि व्यवस्था दी जाये···

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, जो नये पाइन्ट्स उठाये गये हैं उनका जवाब देना चाहता हूं। नये पाइन्ट्स उठाये जायेंगे तो जवाब दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दे दें तो मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें सब्सटेन्टिव मोशन नहीं है इसलिए राइट आफ रिप्लाई तो होता नहीं है। जो मुद्दे उन्होंने उठाये हैं और विधि मंत्री जी ने उत्तर दिया है आप इस संबंध में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्री जी ने शकधर और कौल की किताब में से पढ़ा है। अच्छी तरह से उसको पढ़ते तो मालूम हो जाता कि एक जो उदाहरण दिया गया है उसका चाइना का इन्वेजन हुआ था उससे ताल्लुक है। इसी प्रकार से एक मौका था 67 का। मैंने इसलिए बताया कि मैं उससे भिज्ञ हूं, यह रिलेवेन्ट नहीं है कि मैं कहां रहा हूं, कहां नहीं रहा हूं। इस समय राजस्थान विधान सभा का सदस्य हूं। क्या मेरी योग्यता है, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूं यह रिलेवेन्ट बात नहीं है। मैंने एक आपत्ति उठाई है जो कि वैधानिक है। एक आपत्ति यंगमैन माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र जी व्यास की थी कि सदन की मीटिंग ही नहीं हुई। मीटिंग के लिए सत्र की व्याख्या क्या है अगर वह नियमों में पढ़ लेते तो यह उठाते ही नहीं। सत्र की व्याख्या यह है। सत्र का तात्पर्य राज्यपाल के आमंत्रण पर सभा के एकत्रित होने के समय से प्रोरोग होने के समय तक···

श्री दिनेश डांगी : हाउस मीट ही नहीं हुआ।

श्री राजबहादुर : हाउस के सम्मन के बाद गवर्नर आउट आफ पिक्चर हैं। गवर्नर का फंक्शन नहीं रह जाता आर्टिकल 174 में। उसके बाद फंक्शन आता है तो सिर्फ प्रोरोग के समय आता है। प्रोरोग हुआ नहीं हाउस। सत्र की व्याख्या है एकत्र होने के समय से'प्रोरोग होने तक सत्र रहता है तो एकत्र होने का समय आ चुका था और उसको एकत्र माना जायेगा इसलिए उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता।

माननीय सदस्य ने कहा कि कोई प्रावधान नहीं है नियमावली में या संविधान में कि वह सम्मन इश्यू करने के बाद कैंसिल

(10)

(श्री राजबहादुर)
कर दें। तो ऐसा राज्यपाल को अधिकार नहीं है।

तीसरी बात जनरल क्लाजेज एक्ट के बारे में यह है, यहां मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि विधान के अनुसार एक तथ्य यह है कि कान्स्टीट्यूशनल प्रोवीजन पर जनरल क्लाजेज एक्ट लागू नहीं होता। वहां स्पेसिफिक प्रोवीजन होना चाहिए। नहीं तो हाउस की सावरिनिटी पर क्वेजन होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि स्पष्ट गलती है उसका जो भी उपचार हो सकता है वह करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य···

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि चाइना का इन्वेजन हुआ तब पालियामेन्ट एडजोर्न की गई थी।

श्री राजबहादुर : एडवांस किया गया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चार बार पालियामेन्ट बुलाई गई थी। बाद में गवर्नर जनरल ने एडजोर्न करके दूसरी डेट तय कर दी। 46 में, 62 मे और लास्ट टाइम 67 में···

श्री राजबहादुर : सन् 46 में विधान पास नहीं हुआ था···

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तीन मिसाल पेश की हैं वह कान्सटीट्यूशन लागू होने के बाद की हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय राजबहादुर जी ने जो कहा उसके बारे में रूल्स आफ प्रोसीजर के चैप्टर 4 में है। रूल 11 पढ़िये। "A sitting of the House is duly constituted when it is presided over by the Speaker or any other member competent to preside over a sitting of the House under the Constitution of these rules."

श्री राजबहादुर : it is not relevant.

श्री खेतसिंह राठौड़ : It is.

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप कहें जो रिलेवेंट है, दूसरे कहें वह रिलेवेंट नहीं हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एतराज किया था वह सही है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब गवर्नर साहब ने हाउस बुलाया था, जैसा सदन के नेता महोदय ने कहा यह सब उन्होंने कैबिनेट के कन्सल्टेशन के बाद किया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यह कहा जाये कि जो आज मीटिंग हो रही है वह गलत हो रही है।

श्री अहमद बक्श सिन्धी (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 174 का किस तरह से गलत इन्टरप्रिटेशन किया जा रहा है। आर्टिकल 174 में साफ लिखा है कि "The Governor shall from time to time" This is very important, वक्तन फवक्तन हाउस का सम्मन करेगा

(श्री महमद बक्स सिंधी)

और 6 महीने इन्टरवीन नहीं करेगा। यह इम्पोर्टेंट बात है जो दी हुई है। यह नहीं है कि गवर्नर एक दफा सैशन सम्मन करेगा ओथ वगैरह नहीं ली गई है तो वह कैन्सिल करके दुबारा सम्मन नहीं कर सकता। दूसरे इसमें यह है Governor shall from time to time, यह उसकी पावर्स दी हुई है। जब सिटिंग हो जायें, स्पीकर का चुनाव हो जाये, ओथ हो जाये तब यह एप्लाई होता है। इसलिये आपका इन्टरप्रिटेशन गलत है।

श्री अध्यक्ष : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि हिन्दुस्तान के संविधान के आर्टिकल 174 के अन्दर इस समय जो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली का हाउस है उसको सम्मन करने के लिये अधिसूचना जारी की, एक अधिसूचना आर्टिकल 174 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने 21-6-80 को जारी की और दूसरी अधिसूचना 24-6-80 को प्रसारित की। जो अधिसूचना 21-6-80 को प्रसारित कर दी है वह [illegible] के बाद हाउस को सम्[illegible] करने क्योंकि हाउस को [illegible] कर दिया गया। हाउस सुप्रीम [illegible] सम्मन कर दिया है इसलिये तो कर [illegible] है। राज्यपाल महोदय प्रोरोग के [illegible] सकते हैं लेकिन वह दूसरी अधिसूचना जरिये हाउस के कमेंसमेंट के समय में परिवर्तन नहीं कर सकते–उनका एतराज यह है।

दूसरा यहां पर इसी व्यवस्था के प्रश्न के साथ जनरल क्लाजेज एक्ट का भी हवाला दिया गया। चीफ व्हिप ने भी रूल 11 का उल्लेख किया। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आर्टिकल 174 का इन्टरप्रिटेशन किया कि आर्टिकल 174 का सही इन्टरप्रिटेशन यह है। संविधान का इन्टरप्रिटेशन तो विधि विज्ञ करेंगे। मेरा यह कर्तव्य है कि व्यवस्था का जो प्रश्न उठाया गया है उस पर मैं अपनी व्यवस्था दूं।

आर्टिकल 174 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को दो अधिसूचनायें जारी करने का अधिकार है या नहीं, यह प्रश्न है और वह जब कि पहली मीटिंग लेजिस्लेटिव असेम्बली की नहीं हुई हो, क्योंकि आर्टिकल 179 में इस तरह का उल्लेख है कि सदन की पहली मीटिंग होने के समय से पूर्व तक पहले जो स्पीकर हैं, वे कार्य करते रहेंगे। उसके बाद जो भी अध्यक्ष होगा, कार्य करेगा, इसलिये 4 तारीख को सदन था या नहीं था यह प्रश्न बिल्कुल दूसरा था। जैसा भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा [illegible] उस दिन शपथ नहीं ली थी, [illegible] के कारण हम स[illegible] शपथ नहीं लेने एतराज न[illegible] में किसी प्रकार [illegible] की [illegible] उठा सकते थे। उस दिन सदन [illegible] मीटिंग जरूर थी ओथ लेने की। आज जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया उस मामले में विधि मंत्री ने भी राय प्रकट की है।

"The Governor shall from time to time summon the house or each house of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fit. . . . . "

इसके साथ-साथ इसी के अनुरूप हमारे रूल्स आफ प्रोसीजर के रूल 3 में है कि माननीय सदस्यों को सूचना करने के लिए विधान सभा के सचिव इस प्रकार की अधिसूचना निकालेंगे और माननीय सदस्यों को इस प्रकार से इन्टीमेट करेंगे। विधान सभा के सचिव ने राज्यपाल महोदय की अधिसूचना की अनु-

(श्री अध्यक्ष)

पालना में सभी को सूचना दी कि राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली की पहली मीटिंग 26 तारीख को होगी । वह सूचना उन्होंने निकाली। एक बुलेटिन के जरिये जारी कर दी कि राज्यपाल महोदय ने इस तरह का आदेश निकाला है। इसके साथ लिखा है कि 26 तारीख को 11 बजे यह सदन मीट होगा, आपको सूचित किया जा रहा है। इसी बीच में माननीय राज्यपाल महोदय ने एक अधिसूचना 24 तारीख को निकाली और हाउस के समय में परिवर्तन कर दिया और वह यह कि अब विधान सभा का सत्र 26 जून, 1980 को प्रारम्भ न होकर 4 जुलाई, 1980 को होगा। ऐसा करने का उनका अधिकार था या नहीं था इसके सपोर्ट में माननीय विधि मंत्री जी ने पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का उदाहरण दिया। चार उदाहरण दिये गये हैं, जब राष्ट्रपति ने लोकसभा या राज्य सभा को सम्मन कर लिया था और सम्मन करने के बाद दूसरा सम्मन इश्यू किया और उसमें परिवर्तन कर दिया तारीख का।

"Summons already issued may be cancelled and a resh one issued to members on account of change in the date of commencement of the Session."

सदन का जो सत्र है उसके कमेन्समेन्ट में कोई भी परिवर्तन किया जाय तो राष्ट्रपति एक सम्मन की जगह दूसरे सम्मन के जरिये हाउस के कमेन्समेंट में परिवर्तन कर सकता है जैसा कि उन्होंने किया है। ठीक इसी तरह से राज्यपाल महोदय ने इस सदन के कमेन्समेंट में परिवर्तन किया है। पहले तारीख निश्चित की थी फिर दूसरा सम्मन निकाल कर पहली वाली तारीख में परिवर्तन करके माननीय सदस्यों को सूचना दी कि इस सदन का जो सत्र है वह 26 जून, 1980 से प्रारम्भ न होकर 4 जुलाई से प्रारम्भ होगा। मैं समझता हूं ऐसा करने में राज्यपाल महोदय ने...

(व्यवधान)

मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

इस तरह से माननीय राज्यपाल महोदय ने जो सुपरसेशन करके अधिसूचना निकाली है उसमें संविधान के आर्टिकल 174 का उल्लंघन नहीं किया है। इसलिये जो अधिसूचना प्रसारित की गई है, वह संवैधानिक है।

विधान सभा की बैठक में प्रश्न काल का स्थगन

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली के रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजनेस के रूल नं. 29 को कोट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह रूल यह कहता है—

"Unless the Speaker otherwise directs the first hour of every sitting shall be available for the asking and answering of questions."

जब तक अध्यक्ष महोदय कोई अन्यथा निर्देश न दें तब तक इस हाउस का पहला घण्टा प्रश्न काल का होगा। लेकिन इस हाउस के चालू होने के पश्चात् आज की जो कार्य सूची है, इसका पहला घण्टा प्रश्न काल का नहीं है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, पिछली 6 जून, 1980 को माननीय

(श्री नाथूसिंह)

मुख्य मंत्री महोदय ने शपथ ग्रहण की थी। मैं यह इसलिये भी कह रहा हूं कि आज आप आसन पर विराजमान हैं और आप, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक एक नियम से वाकिफ हैं। कानून और नियमों के जानकार जितने आप हैं मैं उतना शायद नहीं हूं। आपकी इस मामले में बहुत अच्छी धाक है·····

(व्यवधान)

आपके इस आसन पर होते हुए जो वैधानिक प्रश्न मैंने उठाया है कि पहले घण्टे में इस हाउस के प्रत्येक सदस्य का अधिकार है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का सरकार से उत्तर ले सके लेकिन यह दुर्भाग्य है कि प्रश्न काल में हमें सरकार से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिला।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय भैरोंसिंह जी, समझाइये इन्हें····

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप व्यवधान नहीं डालें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, 24 जून, 1980 को राज्यपाल महोदय ने एक अध्यादेश निकाला–एफ. 11(1) सदन/वी.सं./80

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा राजस्थान विधान सभा को अधिवेशन के लिए शुक्रवार दिनांक 4 जुलाई, 1980 को प्रातः 11.00 बजे आहूत करता हूं।"

अध्यक्ष महोदय, 4 जुलाई से अधिवेशन शुरू हो गया। रूल 29 यह कहता है कि प्रत्येक बैठक की कार्य सूची में पहला घण्टा प्रश्नकाल का होगा। यह अधिकार हमसे छीना गया है आपके चेयर पर होते हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा आप नियमों के बहुत जानकार हैं, अगर सरकार को उत्तर देने से बचाना चाहें तो वह एक अलग बात है। उसके बारे में तो मैं नहीं जानता। पहली बार राजस्थान के मुख्य मंत्री हरिजन बने हैं, उन्हें आप उत्तर देने से बचाना चाहें उसके लिए तो मेरी कोई आपत्ति नहीं है···

श्री दिनेश डांगी : प्रश्न तो पुरानी सरकार के खिलाफ ही आयेंगे। आप शान्ति रखिये।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : रूल 29 के अन्तर्गत पहला घन्टा प्रश्न काल का होना चाहिए। इसके बारे में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री शिवचरण माथुर : मेरा तो निवेदन करना यह है कि माननीय सदस्य सदन का समय बेकार खराब कर रहे हैं। माननीय सदस्य यह भूल गये कि चुनाव के बाद यह पहला सत्र है। जो सदन की बैठक आज बुलाई गई है उसमें जो प्रक्रिया होने वाली है सम्भवतः वह माननीय सदस्य भूल गये।

(१५)

(श्री शिवचरण माथुर)
आज सदन की बैठक स्पीकर के चुनाव के लिए बुलाई गई है। मैं समझता हूं इस प्रक्रिया के बाद में यह रूल 29 एप्लाई होता है, पहले कहां होता है ···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य ने पार्लियामेंट के नियम पढ़े हैं। पहले विधान सभा के नियम पढ़ लें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्परा यह रही है कि हमेशा स्पीकर का चुनाव होने के बाद गवर्नर एड्रेस हुआ करता है और उसी के बाद क्वेश्चन आते रहे हैं। यह परम्परा शुरू से है। इसके बाद निश्चित रूप से पहले प्रश्न लिए जायेंगे। आज महज स्पीकर के चुनाव के लिए सभा आहूत की गई है···

श्री अध्यक्ष : माननीय चीफ व्हिप महोदय, आपको रूल 29 के बारे में क्या कहना है ? पहला घण्टा प्रश्न काल का रखा जाता है या नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : लेकिन वह गवर्नर के एड्रेस के बाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो रहने दें। मैं माननीय विश्नोई जी से निवेदन करूंगा कि वे रूलिंग देना अभी से शुरू न करें।

श्री अध्यक्ष : उचित तो यह होता जैसा विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने सुझाव दिया, मैं व्यवस्था को रिजर्व रख लेता। लेकिन माननीय सदस्य को हार्डशिप है कि नियमों के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही करनी थी वह नहीं की गई और नियमों का उल्लंघन हुआ है। इस प्रश्न के लिए मैं निवेदन कर दूं, जैसा कि चीफ व्हिप महोदय ने निवेदन किया, इस सदन की यह परम्परा रही है कि गवर्नर के एड्रेस के पूर्व प्रश्न काल नहीं होता। अध्यक्ष के चुनाव के वक्त भी और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वक्त भी यहां पर प्रश्न काल नहीं हुआ करता, ऐसी परम्परा यहां की है। हालांकि रूल 29 अपनी जगह पर है, तो भी जब कल का बिजनेस माननीय सदस्यों को सर्क्युलेट किया गया, यह बात शनिवार को मेरे ध्यान में लाई गई थी और मैंने उसमें क्वेश्चन-आवर नहीं रहेगा यह निर्णय कर दिया था। नोट में भी लिखा हुआ है कि प्रश्नकाल नहीं होगा। आप रूल 29 को देखेंगे, रूल 29 के अन्तर्गत है

"Unless the Speaker otherwise directs, the first hour of every sitting shall be available for the asking and answering of questions."

क्योंकि सदन की ऐसी परम्परायें रही हैं, प्रेक्टिस और ट्रेडीशन रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष के चुनाव के पूर्व और राज्यपाल महोदय के एड्रेस के दिन क्वेश्चन आवर नहीं हुआ करता है, इन परम्पराओं के अनुरूप और रूल 29 में जो डायरेक्शन दिए गए हैं, मुझे जो अधिकार हैं, उनके अन्तर्गत मैंने यह आदेश दिया था कि प्रश्नकाल का घण्टा नहीं रहेगा। इससे ही माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया है कि प्रश्नकाल नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। मैं व्यवस्था के प्रश्न को ओवर रूल करता हूं।

(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : बैठ जाओ, पहले नियमों का अध्ययन करो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य।

श्री अहमद बख्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था फर्मा दी है। उसके बाद आपको बोलने का हक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज नव-निर्वाचित विधान सभा की प्रथम बैठक हो रही है। मैं यह समझता हूं कि अपनी ओर से कोई भी परम्परा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्य को सम्बोधित करते रहें। जो भी भी सम्बोधन करना हो, आप आसन को सम्बोधित करें।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये बार-बार खड़े नहीं हो सकते हैं।

श्री नाथूसिंह : मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। जो कार्य सूची हमें मिली है, कहीं पर भी · · ·

(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : बार-बार खड़े होकर ये प्रश्न उठाते रहें, यह नहीं होना चाहिए। इसमें सदन का समय बरबाद होता है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के बाद में कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है। व्यवस्था के बाद में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। इनको समझायें। इनको कहिये कि रूल्स पढ़ कर आवें।

श्री नाथूसिंह : मैं स्वयं जानता हूं रूल्स को। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कार्य सूची है इसमें जो नोट लगा है इसमें न तो किसी के साइन हैं और न "अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से" लिखा है। जितनी भी हमको अधिसूचनाएं सक्यूलेट करते हैं, प्रत्येक में यह लिखा हुआ रहता है "राज्यपाल महोदय के आदेश से" अथवा "अध्यक्ष महोदय के आदेश से"। इस कार्य सूची से हमको यह मालूम नहीं होता कि आपके आदेश से है, आपके निर्देश से है कि प्रश्नकाल स्थगित किया है या प्रश्न काल नहीं होगा। इसलिए मेरा व्यवस्था का प्रश्न इस मुद्दे पर है।

श्री अध्यक्ष : मैं पूर्व में ही जब कि माननीय सदस्य बोले थे और प्रश्नकाल का प्रश्न उठाया था, उस पर व्यवस्था दे चुका हूं। आप स्पष्टीकरण चाहते हैं, मुझे पता नहीं आसन से आप क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं लेकिन यह व्यवस्था है कि आसन से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता। मगर तो भी माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं निवेदन कर दूं कि कार्य सूची में जो भी आइटम्स हैं और सचिव विधान सभा के नाम के नीचे जो यह साइक्लोस्टाइल्ड दस्तखत किए हुए हैं वह साइक्लोस्टाइल्ड दस्तखत होने से पूर्व मुझसे इसकी पूर्व अनुमति ले ली गई है। मैंने इस

(श्री अध्यक्ष)

कार्य सूची की अनुमति दी थी। यह जो कुछ भी किया गया है उस पर मेरी पूर्व अनुमति है इसलिये रूल 29 के होते हुए भी मैंने प्रश्नकाल डिस्पेंस विथ कर दिया है मेरे पास अधिकार है उनका उपयोग करते हुए। आज क्वेश्चन आवर रखना सदन की परम्पराओं और प्रेक्टिस के अनुकूल नहीं है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, आसन को अधिकार है कि इस बात को डिस्पेंस विथ कर दे और वह मैंने कर दिया है। इसलिये फरदर क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : इनको आसन ग्रहण करने का आदेश दें।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): आसन की व्यवस्था को चुनौती नहीं दी जा सकती।

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सैंणचा (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सूरजपालसिंह : आसन की व्यवस्था के बाद नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज ! आसन पैरों पर है। आप और कोई प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री नाथूसिह : अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 180 आफ दी···

श्री सुखलाल सैंणचा : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय आपकी व्यवस्था को ये पुनः चैलेन्ज कर रहे हैं। व्यवस्था हो चुकी है। यह कहां की परम्परा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, ये बार-बार उसी बात को दोहरा रहे हैं···

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आप मुझे कब तक सिखाते रहेंगे। यह मुझे देखना है कि क्या करना है। There is another point of order.

अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये अध्यक्ष की नियुक्ति व उनके द्वारा शपथ ग्रहण

श्री नाथूसिह : अध्यक्ष महोदय, 3 जुलाई को राज्यपाल महोदय ने माननीय सदस्यों को शपथ ग्रहण कराने के लिये आपको इस आनरेबल हाउस के अध्यक्ष पद के लिये शपथ दिलाई। अध्यक्ष महोदय, आसन के प्रति मैं पूर्ण आस्था और सम्मान रखता हूं लेकिन चूंकि यह महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न है जो हमारे संविधान से सम्बन्धित है, साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं चाहता हूं कि हाउस व्यवस्था से चले, यही मेरा इसमें उद्देश्य है। इसलिये मैं जो मुद्दा उठा रहा हूं वह यह है, अध्यक्ष महोदय राज्यपाल महोदय किसी भी मेम्बर को किसी भी व्यक्ति को ओथ कराने के लिये, स्पीकर के पद पर कार्य करने के लिये अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण करवा सकते हैं,

(श्री नाथूसिंह)

अपोइन्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब हाउस चलता है तो उसकी कार्यवाही चलाने के लिये जो संविधान में प्रावधान है, वह मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं आर्टिकल 180 आफ इंडियन कान्स्टीट्यूशन है

"(1) While the office of Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of the Deputy Speaker is also vacant, by such member of the Assembly as the Governor may appoint for the purpose."

इसमें जो जोर देना चाहता हूं वह इस पर देना चाहता हूं

···by such member of the Assembly as the Governor may appoint for the p rpose.

तो इस कार्य के लिये गवर्नर साहब, राज्य पाल महोदय केवल उसी व्यक्ति को अपोइन्ट कर सकते हैं जो मेम्बर आफ दी असेम्बली हो और, अध्यक्ष महोदय, मेम्बर आफ दी असेम्बली वही हो सकता है जो कि आर्टिकल 188 आफ दी इंडियन कांस्टीट्यूशन के तहत इस हाउस में शपथ ले।

"Every member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State shall, before taking his seat, make and subscribe before the Governor, or some person appointed in that behalf by him on oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule."

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि आपने···

(व्यवधान)

श्री माणकमल मेहता (पाली) : राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला हो चुका है। ज्योंही रिटर्निंग आफिसर घोषित कर देता है वह मेम्बर हो जाता है। यह राजस्थान हाई कोर्ट का निर्णय इस सम्बन्ध में हो चुका है। इस सदन में शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है। There has been the judgment of the Hon'ble High Court.

श्री नाथूसिंह : माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत के केस में माननीय न्यायाधीश श्री मांगीलाल जैन ने एक फैसला दिया था उसके अन्दर उन्होंने यह कहा था और जिसमें मैंने रिट याचिका की थी उसमें भी यह फैसला दिया गया है कि कोई भी मैम्बर इलेक्ट होने के बाद एज ए मैम्बर, हाउस के बाहर एक्ट कर सकता है, वोट दे सकता है। लेकिन हाउस में वह एक्ट तभी कर सकता है जब पहले वह ओथ ले। आर्टिकल 180 में इसको स्पष्ट किया गया है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरी जानकारी में है, 3 जुलाई को···

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट के फैसले से यह गुमराह करने की कोशिश कर रहे है। 77 के चुनाव में पा गये उसे फिर से पाने की कोशिश कर रहे हैं। हाई कोर्ट का फैसला पूरा पढ़ तो ले, फिर बोलें।

श्री सुखलाल सेणचा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि ऐसा कोई कानूनी पाइन्ट नहीं हैं। यह ट्रेनिंग लेकर आये हैं। समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जैसा कि व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, आर्डर, आर्डर प्लीज! यह काफी इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है। यह आसन से सम्बन्ध रखता है इसलिये आप धैर्य रखें। It is another point.

श्री नाथू सिंह : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस सम्बन्ध में हो सकता है वे ज्यादा जानकारी रखते हों। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, 3 जुलाई, 80 को आपने यह कार्यभार संभाला उस समय जो ओथ दिलाई गई वह दिन छिपने के बाद रात को 8 बजे दिलाई गई। जब कि परंपरा यह है कि ओथ दिन छिपने के पहले दिलाई जाय, वह रात को 8 बजे दिलाई गई।

दूसरा प्रश्न यह है कि आप सदस्यों को शपथ दिलाने के लिये सक्षम हैं। मैं पहले कह चुका हूं। मैं आसन का आदर करता हूं। इसमें तो आप सक्षम हैं क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गवर्नर किसी भी व्यक्ति को, चाहे कलेक्टर हो, चाहे जज हो, चाहे कोई और हो, किसी को भी अपाइन्ट कर सकता है। लेकिन उसके बाद की व्यवस्था का प्रश्न है वह यह है कि हाउस का कार्य चलाने के लिये जो स्पीकर हो, उसका मैम्बर होना जरूरी है। अब, अध्यक्ष महोदय, आपने रात को 8 बजे 3 जुलाई को शपथ ले ली लेकिन आपने मैम्बर की शपथ यहां नहीं ली। हमारी जानकारी में नहीं है कि आपने मैम्बर आफ लेजिस्लेटिव असेम्बली की शपथ कब ली, किसके सामने ली। इसके बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है। इस लिए, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न वैधानिक है। मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट व्यवस्था दें।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मामला इतना स्पष्ट है···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने संविधान के आर्टिकल 180 व 181 के अन्तर्गत एतराज किया है। 181 के अन्तर्गत शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान किया जाता है और आर्टिकल 180 के नीचे राज्यपाल महोदय किसी भी विधान सभा के सदस्य को स्पीकर का कार्यभार सुपुर्द कर सकते हैं, प्रोटेम स्पीकर नोमिनेट कर सकते हैं। जहां तक ओथ का प्रश्न है मुझे जो ओथ दिलाई गई वह ओथ दिलाने का अधिकार गवर्नर महोदय का है और गवर्नर ही ओथ दिला सकते हैं। अगर गवर्नर स्वयं आकर ओथ नहीं दिलावें तो दूसरे किसी माननीय सदस्य या अन्य व्यक्ति को अपाइन्ट कर सकते हैं कि वह ओथ दिलाये। इसलिये गवर्नर महोदय ने विधान सभा के सदस्य की ओथ दिलाई जो ओथ मैंने आपको, 198 माननीय सदस्यों को दिलाई वल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य उपस्थित थे। मैं जो यहां बैठा हुआ था, तो ओथ लिया हुआ ही विधान सभा का सदस्य होता है। हो सकता है कि लोक सभा या बोथ दी हाउस आफ पार्लियामेंट में कुछ और रहा हो, लेकिन यहां परम्परा से जो होता है वही हुआ है। विरोधी पक्ष के माननीय नेता एतराज करते रहेंगे समय-समय पर, मैं दूसरा निवेदन कर रहा था।

(व्यवधान)

मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

19

(श्री अध्यक्ष)

इसलिये मैंने इस सदन के सदस्यों को जो 4 जुलाई को ओथ दिलाई है 11 बजे से 1 बजे के बीच में, वह ओथ मुझे गवर्नर महोदय ने 3 जुलाई की रात को 8 बजे राजभवन में दिला दी थी।

अब माननीय सदस्य का एतराज यह है कि आपको ओथ दिलाई वह डे-लाइट में नहीं दिलाई, रात को दिलाई, मानो चुपके-चुपके कार्यवाही की गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं, व्यवस्था देता हूं कि इस सदन में यह तो पवित्र काम है ओथ दिलाने का। आपकी सदन की यह परंपरा रही है कि नव-निर्वाचित विधान सभा बनती है तो सभी माननीय सदस्यों को सदन में ओथ दिलाई जाती है ताकि एक सालेमिटी पवित्रता की परम्परा रखी जा सके। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि ओथ यहां दिलाई जाय। जिसको भी गवर्नर महोदय आर्टिकल 181 के नीचे मुकर्रर करेंगे वह दूसरी जगह अपने चेम्बर में भी ओथ दिला सकता है। जब विरोधी पक्ष के नेता राजस्थान के मुख्य मंत्री थे, छबड़ा से चुनाव जीत कर आये तब इस सदन का सत्र नहीं चल रहा था। उन्हें शपथ दिलाने के लिए गवर्नर महोदय ने आर्टिकल 181 के नीचे अधिकृत किया था उस समय विधान सभा के अध्यक्ष को। उन्होंने अपने ही चेम्बर में शपथ दिलाई। इसलिये मुझे भी जो ओथ दिलाई गई है वह राज्यपाल महोदय द्वारा दिलाई गई है। हिन्दुस्तान के संविधान में केवल राज्यपाल या उनका अधिकृत व्यक्ति शपथ दिला सकता है। तो मुझे तो स्वयं राज्यपाल महोदय ने शपथ दिलाई है। इसलिए जो ओथ दिलाई है वह बिल्कुल वैधानिक है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

आपके दूसरे प्रश्न पर भी मेरी व्यवस्था यह है कि हिन्दुस्तान के संविधान के आर्टिकल 180 में प्रावधान यह है—

"While the office of the Speaker is vacant, the duties of office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of the Deputy Speaker is also vacant, by such member of the Assembly as the Governor may appoint for the purpose--"

आर्टिकल 188 और 180 के प्रावधान में, माननीय सदस्य, आपको फर्क समझना पड़ेगा। स्पीकर प्रोटेम वही अपाइन्ट किया जा सकता है जो इस सदन का सदस्य हो। आर्टिकल 188 के नीचे ओथ दिलाने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है परन्तु उसका इस सदन का माननीय सदस्य होना आवश्यक है। आर्टिकल 188 के नीचे मुझे गवर्नर साहब ने ओथ दिलायी है। आर्टिकल 188 बहुत स्पष्ट है।

"Every member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of the State shall, before taking his seat, make and subscribe before the Governor or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation........"

गवर्नर महोदय ने आर्टिकल 188 के नीचे जिस पर्सन को अपाइन्ट किया है, वह मुझे अपाइन्ट किया है। 180 के अन्तर्गत, 88

(श्री अध्यक्ष)

के अन्तर्गत ओथ लेने के बाद स्पीकर प्रोटेम मुझे अपाइन्ट कर दिया। मेरे दो फंक्शन है। 188 और 180 की दो बातें है, परन्तु मैं व्यक्ति एक ही था, इसलिये आपको कनफ्यूजन हो रहा है। वास्तव में कान्स्टीट्यूशन के प्रावधान के अन्तर्गत, राज्यपाल महोदय ने मुझे ओथ दिला करके इस विधान सभा का सदस्य बना दिया है। मैंने ओथ लेने के बाद में, स्पीकर की ड्यूटीज का अंजाम देने का अधिकार 180 के अन्तर्गत होने के बाद आप लोगों को ओथ दिलायी है। जब तक नये अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक आर्टिकल 180 के अन्तर्गत यह लिखा हुआ है कि वही व्यक्ति, जो है, आसन का कार्य करता रहेगा, अध्यक्ष की ड्यूटी का अंजाम देता रहेगा। इसलिये मैं उसी के अन्तर्गत संवैधानिक कार्य कर रहा हूं। आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मैं उसको ओवर रूल करता हूं।

शपथ

श्री कमलेन्द्र सिंह द्वारा शपथ ग्रहण

श्री सचिव : श्री कमलेन्द्रसिंह !

(श्री कमलेन्द्रसिंह ने शपथ हिन्दी में ग्रहण की)

अध्यक्ष का निर्वाचन

श्री पूनमचन्द विश्नोई का अध्यक्ष पद पर निर्वाचन

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, सदस्य, विधान सभा प्रस्ताव रखेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं श्री पूनम चन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा, विभाजन सं. 84 को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जो मिनिस्टर फार पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, सदस्य, विधान सभा ने रखा है और जिसका समर्थन श्री खेतसिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा ने किया है उसको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

मैं घोषणा करता हूं कि श्री पूनमचन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा, विभाजन संख्या 84 राजस्थान विधान सभा के सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

अब नव निर्वाचित माननीय सदस्य, जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, से निवेदन करूंगा कि वे पधार कर आसन ग्रहण करें।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता महोदय !

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी ओर से और इस सदन की ओर से आपको इस अवसर पर शुभ-कामनाएं अर्पित करता हूं। मुझे खुशी है····

श्री भंवर लाल शर्मा : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

कई माननीय सदस्य : अभी ये कैसा पाइन्ट ऑफ आर्डर ?

श्री भंवर लाल शर्मा : कोई भी माननीय सदस्य यहां पर लिखित कागज नहीं पढ़ सकता है, यह मेरी आपत्ति है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं माननीय सदस्य की बात को मानता हूं।

एक माननीय सदस्य : आश्चर्य की बात है।

बधाई एवं शुभकामनाएं

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अभी तो आपको कई आश्चर्य होंगे, इन्तजार कीजिये।

मुझे बहुत खुशी है कि सदन ने पूरे विश्वास के साथ आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष के इस महत्वपूर्ण पद पर निर्वाचित किया है।

श्रीमान्, यह पहला अवसर नहीं है जब कि आप इस महत्वपूर्ण पद पर आसीन हुए हैं। आपने सन् 1967 से 71 तक पीठासीन अधिकारी के रूप में इस सदन की कार्यवाही का संचालन किया है। इस प्रकार आपका अनुभव इस पद के लिये काफी रहा है। हमें विश्वास है कि आप इस पद का गौरव, इस आसन की गरिमा को अक्षुण्य रख कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे और समय-समय पर इस सदन को अपने मार्गदर्शन से लाभान्वित करते रहेंगे। हमें यह भी विश्वास है कि आपके हाथ में इस सदन के अधिकार, इस सदन की स्वस्थ परम्परायें और जनतान्त्रिक व्यवस्थाएं सुरक्षित रहेंगी।

मैं पुनः मुबारकबाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हमारी तरफ से आपको हमेशा सहयोग मिलता रहेगा।

जहां तक मैं जानता हूं, आपका व्यक्तित्व अपने ढंग का व्यक्तित्व रहा है। आज नहीं आज से पहले भी आपका व्यक्तित्व यहां की परम्पराओं से मिला हुआ रहा है। आपकी जानकारी न केवल इस सदन के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों की है बल्कि समूचे राजस्थान के बारे में आपकी जानकारी है। इस सदन में जो नियम-उपनियम माने जाते हैं, उन सब का पालन कराना भी आपने सीखा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है, आप सदन की कार्यवाही को विधिपूर्वक नियमानुसार चला सकेंगे। मैं आपको अपनी ओर से और सत्ता दल की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से आपका निर्वाचन हुआ है। मैं मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से आप को बधाई अर्पित करता हूं।

आप जैसे अनुभवी व्यक्ति के हाथों में यह पद माननीय सदस्यों ने सौंपा है। आपको इस विधान सभा में उपाध्यक्ष के पद पर कार्य करने का सौभाग्य मिला है। साथ ही आप सत्ता में भी रहे हैं, उप मन्त्री के रूप में। आपको उस का भी अनुभव है।

एक माननीय सदस्य : मन्त्री भी रहे हैं।

22

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे मालूम हैं।

एक माननीय सदस्य : आप शान्त रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सता में आप रहे हैं, उसका भी आपको अनुभव है। मेरा विश्वास है, उस अनुभव के आधार पर जो इस सदन में परम्पराओं का निर्माण हुआ है, उन परम्पराओं के आधार पर इस सदन की कार्यवाही को संचालित करते रहेंगे।

मुझे इस बात की भी खुशी है, अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष को दो-तीन वर्ष तक विरोधी पक्ष में भी बैठने का अनुभव हुआ है। सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों का अनुभव हो गया है। मुझे आशा है कि इससे विरोधी पक्ष के अधिकार निश्चित ही सुरक्षित रहेंगे। इस आधार पर एक सबसे बड़ी समस्या जो आपके सामने होगी मैं चाहता हूं कि उसका संकेत इस समय कर दिया जाये। कुछ दिनों पहले, आज का सत्ता दल विरोधी पक्ष में बैठता था। आज के सत्तारूढ़ दल के लोगों ने, जिस समय वह विरोधी पक्ष में रहे हैं, सदन की कुछ परम्पराओं का निर्माण किया है। निष्पक्ष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि परम्पराओं के राजस्थान विधान सभा में ही नहीं अन्य राज्यों की विधान सभाओं में भी उदाहरण दिये जाते रहे हैं। मैं आपके सामने एक निवेदन करना चाहूंगा, हमारे सामने यह बहुत महत्वपूर्ण समस्या है कि जो परम्पराएं विरोधी पक्ष में रह कर पिछले 3 वर्षों में आज के सत्तारूढ़ दल ने डाली हैं, उन्होंने जिन परम्पराओं का निर्माण किया है उनका निर्वहन किया जाये या उनमें संशोधन किया जावे या उनको समाप्त किया जाये। उदाहरण के लिए मैं एक बात कहूंगा, आप उस एक से ही परिचित हो जायें, पिछले सत्र में जब माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था तब विरोधी पक्ष में बैठ कर सत्तारूढ़ दल ने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बाधा डालने की परम्परा डाली थी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो उससे पहले भी डाली थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको नहीं कह रहा हूं। आप तो परम्पराएं बनाने वाले रहे हैं।

मैं तो, अध्यक्ष महोदय, यही कहूंगा कि माननीय खेतसिंह जी ने जो परम्पराएं डाली हैं, जो परम्पराएं पिछले 3 वर्षों में विरोधी पक्ष ने डाली हैं, वह निर्विवाद रूप से चलनी चाहिए या जो विरोधी पक्ष ने पिछले 30 वर्षों में डाली हैं, उन पर चलना है। मैं समझता हूं कि हमें इस समस्या का समाधान करना है। हम लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं।

मैं विरोधी पक्ष की ओर से यह विश्वास दिलाता हूं कि हमें ऐसा करना है जिससे कि सदन की गरिमा बढ़े। हम सदन की गरिमा का आदर करते हैं। हमारा इस दिशा में पूर्ण योगदान रहेगा।

मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से पुनः आश्वासन दूंगा कि सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए आपके जो भी निर्देश होंगे, हम सब उन का आदर करेंगे ताकि इस सदन की गरिमा और बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री राजबहादुर !

श्री राजबहादुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्व सम्मति से चुने जाने पर इस पद के लिए आपको मैं हार्दिक बधाई देता हूं ।

यह सदन हमारे जनतन्त्र का मन्दिर है । इसके द्वारा जनतन्त्र की उच्चतम परम्पराओं, मर्यादाओं को संजोया गया है । हमें यह चेष्टा करनी है कि हम यह न मान बैठें कि सदन की सदस्यता अथवा अध्यक्ष का पद ही हमारा साध्य है । यह मात्र साधन है साध्य नहीं । राजस्थान की दो या ढाई करोड़ जनता आशा भरी निगाहों से हमें देख रही है । उसने ही हमें चुन कर, प्रतिनिधि बनाकर भेजा है । हमें ध्यान रखना है उनका जो पालिटिकली, और सोशली डिस्क्रिमिनेटेड हैं । वह सचमुच में ऐसे हैं जो हजारों वर्षों से अन्धकार में हैं । उनकी आंखों में चमक आये, उनके जीवन में कुछ प्रकाश आवे, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस महान् उद्देश्य की पूर्ति में हम सहयोग देंगे ।

सदन की परम्पराओं और मर्यादाओं, जो राजस्थान के साथ जुड़ी हुई है, के साथ ही जुड़ा हुआ है राजस्थान का पिछड़ापन । इसमें कुछ गौरव वाली बातें भी हैं । लेकिन हमें कोशिश करनी है राजस्थान को ऊपर उठाने की और आगे बढ़ाने की । इसके लिए हमें कार्य करना है ।

समय-समय पर हम व्यवस्था का प्रश्न करेंगे । स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे । उसमें आप हमें सहयोग दें यदि हमारा निवेदन उचित हो तो । हमारा कर्तव्य यह है कि हम विधान के, नियम के आगे कुछ नहीं कहें । हम राजस्थान की जनता का हित करें । हम आशा करते हैं, जो व्यवस्थायें होंगी । आपकी वह निष्पक्ष व्यवस्थायें होंगी । हम विश्वास दिलाते हैं राजस्थान की जनता का इतिहास और परम्पराएं गौरवमय हैं हम उन्हें आगे बढ़ायेंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः अभिनन्दन करता हूं ।

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष जी, आपको अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने जाने के उपलक्ष में मैं जनता पार्टी (जेपी) की ओर से आपका अभिनन्दन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं । मैं आशा करता हूं कि आप जैसे अनुभवी व्यक्ति के आसन पर होने के कारण जो स्वस्थ परम्परायें हैं सदन की, उनका निर्वहन बखूबी होगा और आपकी ओर से विपक्ष की जो बातें हैं उनका पूरा खयाल रखा जायगा । हमारी ओर से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, इसका मैं आपको विश्वास देता हूं ।

श्री लच्छूराम (मुण्डवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके निर्विरोध निर्वाचित होने पर मैं लोक दल की ओर से आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं । आपको विश्वास दिलाता हूं कि सदन की जो स्वस्थ परम्परायें हैं उनके लिए लोक दल इस सदन को और आपको पूर्ण सहयोग करेगा ।

श्री मेघराज (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सर्व सम्मति से निर्वाचित होने पर मैं अपनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं । मै आशा करता हूं कि आप इस सदन की जो स्वस्थ परम्परायें हैं उनका निर्वहन करते रहेंगे और विरोधी दल के अधिकारों की रक्षा करेंगे ।

(24)

(श्री मेघराज)

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि आश्चर्य की बात है तो मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि और कई आश्चर्य होंगे। इसमें क्या राज है? इसमें क्या मोटी बात है?

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी ओर से आपको सहयोग मिलेगा।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, मैं निर्दलीय सदस्यों की ओर से आपके निर्विरोध निर्वाचित होने पर आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं और आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूं कि जितने विद्रोही कांग्रेसी है, अपने दल से पूरा सहयोग देंगे। सदन की परम्पराओं को कायम रखेंगे, यह पूर्ण विश्वास दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष : सम्मानीय सदस्यगण, आपने मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना--

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपका जो निर्विरोध चुनाव हुआ, उसके लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा.) की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक जन हित का काम होगा, अवाम का काम होगा, जब तक जनता की आवाज को दबाया नहीं जायेगा, हम आपको पूरा सहयोग देंगे। जहां कोई सत्ताधारी सत्ता के गरूर में जुल्म पर जुल्म करेंगे तो हम उस तबाही हरकत के खिलाफ आवाज बुलन्द करेंगे और सदन में आवाज उठायेंगे। अभी सदन में आवाज आई कि 32 सालों से सदन की कैसी परम्पराएं रही हैं। मैं नहीं जानता, कैसी परम्पराएं रही हैं। मैं तो महज यही कहना चाहता हूं, मेरे दल, सी. पी. एम. की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता की आवाज को प्रोत्साहन मिलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ सी. पी. एम. की ओर से बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्ष ; सम्माननीय सदस्यगण, मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिससे मैं आपका आभार व्यक्त कर सकूं कि आपने मुझे इस विशिष्ट पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया। मुझे सबसे बड़ी खुशी होगी यदि मैं सभी पक्षों के समक्ष जैसा सोच कर आपने मुझे चुना है वैसा अपने आपको साबित कर सकूं।

अध्यक्ष का नाम अंग्रेजी में स्पीकर है लेकिन आप जानते हैं कि स्पीकर सबसे कम बोलने वाला व्यक्ति होता है। शायद भाषण का अवसर तो आज ही मिलेगा उसके बाद में आप भाषण देंगे, यदा कदा उसमें नियमों का उल्लंघन हुआ तो बीच में बाध्य होकर मुझे हस्तक्षेप करने का अवसर मिल सकता है।

आप लोगों को जनता ने बड़ी आशाओं के साथ में चुना है। आप लोग अपने पक्ष की बात सदन के सामने रखने की कोशिश करेंगे। आसन का यह फर्ज होगा कि आप कारगर ढंग से अपनी बात सदन के सामने रख सकें। आसन का कभी यह उद्देश्य नहीं रहेगा कि आपकी चर्चा में, आपके वाद-विवाद में, आपके भाषण में कोई हस्तक्षेप किया जाय। लेकिन यह सब कार्य नियमों के

(श्री अध्यक्ष)

अन्तर्गत ही हो सकते हैं इसलिए नियमों को और संविधान को ध्यान में रख कर यहां पर चर्चा होनी चाहिए।

इस पद को पहले बहुत योग्य व्यक्तियों ने सुशोभित किया है। मेरे में शायद इतनी योग्यता नहीं हो, लेकिन मैं बराबर कोशिश करूंगा, इस बात का प्रयत्न करूंगा कि जो शानदार परम्परायें इस सदन की हमको विरासत में मिली हैं उनका मैं निर्वहन कर सकूं और जिस तरीके से पहले माननीय अध्यक्ष महोदयगण ने इस आसन के माध्यम से सदन का संचालन किया उसी तरह से मैं कर सकूं, उनके अनुभवों से लाभ उठा सकूं।

विपक्ष के नेताजी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। वह काफी हद तक सही भी है कि राजस्थान की विधान सभा का अपने देश के अन्दर एक विशेष स्थान है। सदन के अन्दर काफी गरमागरम चर्चायें होती हैं, गरमागरम वातावरण में वाद-विवाद होता है, लेकिन वह गरमी यहीं समाप्त हो जाती है और बाहर चाहे कोई सदस्य पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सदैव उनके आपस में सम्बन्ध बहुत ही मधुर रहे हैं। यह देश की अन्य विधान सभाओं को या संसद को भी हमसे सीखने की बात है कि जब तक आपस में सम्बन्ध मधुर नहीं रहेंगे सही मायने में हम हमारी प्रणाली को जनतान्त्रिक नहीं कह सकते। जो कोई भी मुद्दा सदन में उठाया जाता है वह जनहित को ध्यान में रख कर उठाया जाता है। उसमें किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत हित छिपा हुआ नहीं रहता है क्योंकि व्यक्तिगत हितों को यहां पर लाना या उन पर चर्चा करना हमारे संविधान और हमारे नियमों के प्रतिकूल है।

आप लोगों को जनता ने अभी-अभी चुना है, आपके चुनाव के लिए, मैं आपको बधाई अर्पित करता हूं। हमारी जनता ने जो कोई भी फैसला किया वह जनहित को ध्यान में रख कर किया है।

हमारा जनतंत्रवाद केवल किताबों तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे चुनाव साबित करते हैं। जनता की भलाई में गहरी रुचि है। बुद्धि जीवी लोग अपने पढ़े-लिखे लोग शायद हो सकते हैं कि कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ की दृष्टि से काम करें, लेकिन जो जनसाधारण है वह इसी बात पर हमें चुन कर भेजते हैं कि आम जनता की भलाई को महत्व दें। चुनाव हुए लगभग एक महीना हो गया और चुनाव की प्रक्रिया दो महीने पहले शुरू हो गयी थी। आपने देखा होगा कि जनता ने सब अपनी संस्थायें, अपना काम भुलाकर के लगन से मेहनत करके अपने को चुना है। जनता हमसे बहुत कुछ अपेक्षायें करती है। इस सदन के माध्यम से हमारा यह कर्तव्य होगा कि हम उनकी भलाई कर सकें।

राजस्थान का पिछले 30 साल का इतिहास बहुत शानदार रहा है। 30 साल पहले राजस्थान सामन्तवादी परम्पराओं में दबा हुआ था। आज हम एक सफल जनतंत्र के रूप में अपने देश के और दुनियां के सामने उपस्थित हैं। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवागमन और बहुत से जनहित के कार्य 30 साल में हुए हैं। लेकिन अभी हमको बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भी हम हमारे देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों में से

(श्री अध्यक्ष)

एक हैं। राजस्थान की कुछ भौगोलिक परिस्थितियां हैं वह भी विशिष्ट हैं।

विज्ञान और टैक्नोलोजी ने कई नये-नये विकास के साधन उपलब्ध कराये हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इलाके में सही मायनों में उपयोगी या उपयुक्त टैक्नोलोजी लागू नहीं हुई है। राजस्थान के चप्पे चप्पे को, हर हिस्से को जानने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं। यह उनकी बराबर कोशिश होनी चाहिए कि उनके क्षेत्र की तरक्की हो। अगर मरुस्थल है तो कृषि कैसी हो सकेगी, वहां सिंचाई का प्रबन्ध क्या हो सकता है, आवागमन के साधन कैसे बढ़ाये जा सकते हैं, इन सभी प्रश्नों का गहराई से अध्ययन करना होगा और सरकार के सामने कारगर ढंग से आपको रखना होगा। संविधान और हमारी कार्य प्रणाली के नियम सदियों के अनुभवों के आधार पर बने हैं, यह एक बहुत ही सक्षम माध्यम कह सकते हैं। राजस्थान के विकास में बहुत ही सशक्त उपयोगी हो सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। नियमों का और संविधान का पालन नहीं होता है तो सरकार निरंकुश बन जाती है। इसलिए हमारे हित में यही है कि हम नियमों का पालन करें, संविधान का पालन करें। सरकार एक लाख अश्व शक्ति का एक बड़ा संयन्त्र है। उसको यदि आप बाहर से धक्का देते हैं तो शायद वह चलायमान नहीं होगा। हमारे नियम और हमारा संविधान जो है वह एक नियंत्रण कक्ष है। एक बटन दबाने से भी बड़ी से बड़ी लाख हार्स पावर की मशीनरी जैसे चल जाती है उसके लिए हमारे नियमों में इस तरह की विधियां दी हुई हैं जिससे हम सरकार पर कारगर नियंत्रण रख सकते हैं।

यहां पर बहुत से माननीय सदस्य, जो बहुत पुराने हैं, वाद विवाद में हिस्सा लेकर के बहुत कारगर ढंग से चाहे प्रश्न काल हो, चाहे स्थगन प्रस्ताव हो, चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो, इन सबके जरिये सरकार को बाध्य किया है कि वह सही रास्ते पर चले या उसका ध्यान आकर्षित किया है कि इस तरह की योजना हाथ में ले।

कोई भी कार्य होता है, माननीय सदस्यों से खास तौर से मेरा आग्रह है उनको भी अनुभव है कि जिस बात की पैरवी की जाये सही ढंग से पराक्रम के साथ की जाय। पराक्रम शस्त्रों का नहीं बल्कि बुद्धि का। जब तक कारगर ढंग से कोई चीज सामने नहीं रहेगी तब तक वह काम होगा नहीं। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। यूं कहा जा सकता है कि जितना जोरदार धक्का हम लगावेंगे उतनी कारगर बहस होगी। उसमें नियमों का पालन हो, संविधान का पालन हो तो मैं कह सकता हूं कि एक बहुत ही सक्षम माध्यम हो सकता है यह सदन और इसमें उठने वाली सभी चर्चायें। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि जब कभी आप इस सदन की कार्यवाही में हिस्सा लें, नियमों का, संविधान का पालन करें। सदन का समय बहुत कीमती होता है इस कीमती समय का पूरा उपयोग करें। सदन के नियमों का पालन नहीं करने से सबसे बड़ा नुकसान जो है यह माननीय सदस्यों का स्वयं का है, दूसरे किसी का नहीं है। जो चीज कही जा सकती है एक जोरदार ढंग से, उसमें यदि आप नियम का पालन नहीं करेंगे

(श्री अध्यक्ष)

तो वह बात आप कारगर ढंग से कह नहीं सकते।

अंत में मैं पुन: आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस विशिष्ट पद पर चुना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ भी मैं करूंगा, बिना किसी राग, द्वेष, भय और पक्षपात के करूंगा। हो सकता है यह सब कुछ होते हुए गलती हो जाये, वह अलग चीज है, लेकिन दुर्भावना से कोई कार्य नहीं होगा। सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, समान दृष्टि से उनकी ओर मेरा ध्यान रहेगा। जो कुछ फैसले होंगे, निष्पक्ष होंगे। यही बात आपसे इस वक्त कह सकता हूं। अन्त में पुन: आभार प्रदर्शित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन की औपचारिक बैठक में शोक प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी एक शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि शोक प्रस्ताव सत्र की औपचारिक बैठक प्रारम्भ होने के बाद होने चाहिए। औपचारिक बैठक के लिए 3 मुद्दे बहुत आवश्यक हैं। माननीय सदस्य शपथ ग्रहण कर लें, अध्यक्ष महोदय का निर्वाचन हो जाये और उसके बाद राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो जाये। आज तक इस प्रकार की परम्परा रही है कि शोक प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, सारी औपचारिकतायें पूरी हो जायें, उसके तुरन्त बाद जो बैठक होती है उस बैठक में प्रस्तुत किये जाते हैं। मैं नहीं समझता कि इस बार परम्परा का किस प्रकार से निर्वहन नहीं किया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी पहली परम्पराओं के विपरीत आज प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करेंगे। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन परम्पराओं व मर्यादाओं का उल्लंघन न हो। इस बात की आप व्यवस्था करें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, विरोधी दल के माननीय नेता ने जिन परम्पराओं की यहां चर्चा की है, मैं और मेरा दल उनको ठीक तरह से जानता और मानता है। मैं आशा करके चलता हूं कि जिस तरह से सद्भावना के साथ परम्पराओं की चर्चा आज कर रहे हैं, आगे भी इस प्रकार से करते रहेंगे। वैसे भी सदन के लिए आज खुशी का मौका है कि आपका निर्वाचन हुआ है। मैं और मेरा दल नहीं चाहता कि इस मौके पर कोई ऐसी परम्परा डालें जो समयानुकूल न हो। न हमारी कोई जिद है और न किसी और बात का सवाल है। विरोधी दल के माननीय नेता ने जो सुझाव दिया है, मैं और मेरा दल उसको मान कर चलता है। जैसी आप व्यवस्था दें, उसको हम मानने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि विपक्ष के नेता महोदय ने सुझाव दिया शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद पेश होगा।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 8 जुलाई, 1980 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. 12.51 बजे मंगलवार, दिनांक 8 जुलाई, 1980 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)